माननीय न्यायाधीश हरबंस लाल के समक्ष

जगदीश और अन्य, अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य - प्रतिवादी

1998 की आपराधिक अपील संख्या 176-एसबी

16 जनवरी, 2009

भारतीय दंड संहिता, 1860- धारा 498-ए और 304-बी-दहेज मृत्यु-मृत्यु घोषणा-दहेज की मांग का कोई विशेष आरोप नहीं-एसडीएम द्वारा दर्ज किया गया बयान-यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं था-कोई प्रमाण पत्र नहीं हैं जो कि उपस्थित चिकित्सक द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान में बताया गया हो कि मृतक सही मानसिक स्थिति में था - मृत्यु घोषणा के बयान के अनुसार यह दुर्घटनावश आग लगने के मामला हैं बजाय की आत्महत्या का मामला हो - ऐसा कोई मामला नहीं है कि यह अपीलकर्ताओं का जानबूझकर किया गया आचरण था - अपील स्वीकार की गई, अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया गया हैं आरोपित अपराध का।

अभिनिर्धारित, किया की इस आशय का कोई सबूत नहीं है कि मृतक की स्थिति अनिश्चित थी और न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं था और ऐसा होने पर, अन्वेषक के पास उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के माध्यम से बयान दर्ज कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यदि अभियुक्त-अपीलकर्ता दुर्व्यवहार कर रहे थे या अपने माता-पिता को उनकी बताई गई मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए मृतक को परेशान कर रहे होते तो सभी मानवीय संभावनाओं में, उसने अपने मरने से पहले दिए गए बयान में इसका विशेष उल्लेख किया होता जो की काफी अस्पष्ट और गोलमोल है। मृत्युपूर्व बयान में कोई विशेष आरोप नहीं हैं। उसके पिता ने यह कहकर भौतिक सुधार किया है कि आरोपी, मृतक पर, उसके माता-पिता से 50,000 नकद रुपये के अलावा स्कूटर लाने के लिए दबाव डाल रहे थे।। इस प्रकार, यह मृत्युपूर्व बयान और साथ ही मौखिक साक्ष्य अदालत का विश्वास जगाने में विफल हैं। शिकायतकर्ता पक्ष के पास मृतक को समझाने और संकेत देने के लिए पर्याप्त समय था। इलाज कर रहे डॉक्टर द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के साथ इस बात

का कोई प्रमाण पत्र नहीं था कि जब उसका बयान दर्ज किया जा रहा था, तब वह सही मानसिक स्थिति में थी, और इस पर भरोसा करना बहुत जोखिम भरा होगा। मृत्यु पूर्व बयान के संबंध में कानून से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि डॉक्टर द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि पीड़िता की मानसिक स्थिति ठीक थी। यहाँ इस मामले में, केवल "कथन के लिए उपयुक्त" शब्द लिखे गए हैं। इस प्रकार, यह कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

(पैरा 11)

अभिनिर्धारित किया गया कि क्रूरता का निम्नलिखित से अभिप्रेत हैं जिसका मतलब हैं कि, क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है; या; (ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है । आईपीसी की धारा 498ए को एक महिला को उसके पति या उसके रिश्तेदारों के हाथों दहेज हत्या और उत्पीड़न के खतरे से निपटने के घोषित उद्देश्य से पेश किया गया था। मृत्यु पूर्व बयान के अनुसार, मृतिका को जलते चूल्हे से आग लग गई थी और उसकी सास ने उसे बचा लिया था। मृत्यु पूर्व बयान में यह मामला नहीं है कि यह अपीलकर्ताओं का जानबूझकर किया गया आचरण था जिसने मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। गौरतलब है कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के अनुसार यह आत्महत्या का मामला भी नहीं है, बल्कि दुर्घटनावश आग लगने का मामला है।

(पैरा 12 और 13)

आर.एस. सिहोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता बी.आर. राणा के साथ, वकील
अपीलकर्ता के लिए।
आदर्श जैन और यशपाल ठाकुर, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के लिए ।
के.एस.गोडारा, डिप्टी एडवोकेट जनरल, हरियाणा।

निर्णय

हर्बंस लाल, न्यायाधीश

1. यह अपील विद्वान सत्र के न्यायाधीश, फरीदाबाद की अदालत द्वारा पारित 17 फरवरी, 1998 के फैसले/आदेश या सजा के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उन्होंने आरोपी जगदीश और उसकी मां खजानी को दोषी ठहराया और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही प्रत्येक को 500 रुपये का जुर्माना अदा कराना हैं और इसके डिफ़ॉल्ट पर, डिफॉल्टर को आईपीसी की धारा 498-ए के तहत छह महीने के कठोर कारावास से गुजरना होगा और उन्हें आईपीसी की धारा 304-बी के तहत आरोप से बरी कर दिया गया ।

2. सभी अनावश्यक विवरणों को नकारने के लिए, अभियोजन पक्ष के मामले के तथ्य यह हैं कि हरचंदी पीडब्लू4 की बेटी रेखा की शादी, 1 मार्च 1994 को हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार ग्राम सल्लागढ़ (पलवल) में आरोपी जगदीश के साथ हुई थी। उसकी शादी पर रु 1 लाख खर्च हुए थे। शादी के करीब 10/12 दिन बाद आरोपी, हरचंदी के घर गया और कम दहेज देने की शिकायत की। उन्होंने 50,000 नकद राशि के अलावा एक स्कूटर की मांग रखी भी रखी थी। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे रेखा को छोड़ देंगे।उस वक्त रेखा अपने मायके में थीं। वह लगभग छह महीने तक वहां रही, इस दौरान हरचंदी का बेटा आरोपियों के घर गया और उन्हें रेखा को अपने घर लाने के लिए मनाया। उन्होंने अपनी मांग दोहराई और उनसे झगड़ा करने लगे। वह घर लौट आया। लगभग छह महीने बाद, आरोपी जगदीश, अपने ससुराल गया और दहेज की अनुचित मांग करने पर दुख जताया और रेखा को अपने साथ भेजने का अनुरोध किया। उनकी बात मान कर रेखा को उनके साथ भेज दिया गया। इसके बाद रेखा को मायके नहीं भेजा गया। उसके पिता "भैया दूज" से लगभग दो दिन पहले रेखा से मिलने, आरोपी के घर गए। रेखा ने उन्हें बताया कि उपरोक्त मांग पूरी न होने के कारण आरोपी उसे परेशान कर रहे हैं। इस पर उनके पिता ने उनसे अनुरोध किया की रेखा को उसके साथ भेज दे क्योंकि वह अपनी मां से मिलना चाहती थी और परिवार के अन्य सदस्य से भी। आरोपी ने रेखा को भाई दूज पर भेजने का वादा किया था । जगदीश ने फिर वादा किया कि वह खुद उसे, उसके माता-पिता के घर ले जाएगा। आरोपी अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। "भैया दूज" के 7/8

दिनों के बाद, रेखा के पिता उसके ससुराल गए और पूछा कि उसे घर क्यों नहीं भेजा गया। उक्त अवसर पर आरोपियों ने स्वेच्छा से कहा कि जब तक उनकी उपरोक्त मांग पूरी नहीं होगी, रेखा को नहीं भेजा जायेगा। यहां तक कि उन्हें, उनके घर से बाहर जाने के लिए भी कहा गया। 8 दिसंबर 1994 को रात करीब 8.00 या 8.15 बजे जगदीश अपनी ससुराल गया और बताया कि रेखा पलवल के सरकारी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है। हरचंदी अपने बेटे रमेश, उसकी पत्नी किशनी, परमाल और सुमेर के साथ उक्त अस्पताल में गए और रेखा को जली हुई हालत में पाया। डॉक्टर ने उन्हें उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाने की सलाह दी क्योंकि वह अभी भी जीवित थी। उन्होंने उसे उक्त अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसे भर्ती कर लिया गया था। वैसे पूछताछ करने पर उसने अपने माता-पिता को बताया कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी सास व पति ने उसे मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया है। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने रेखा का मृत्यु घोषणा का बयान दर्ज किया। आख़िरकार, 9 दिसंबर, 1994 को सुबह 11:52 बजे, जलने की चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक्स.पीजी, हरचंडी के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद, आरोप-पत्र पलवल के विद्वान उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने आरोपी के मुकदमे की सुनवाई के लिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

3. अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के तहत आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने दोष स्वीकार नहीं किया और मुकदमे का दावा किया। अभियुक्तों के खिलाफ दोष सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 1 डॉ बनवारी लाल, पीडब्लू 2 अनोज कुमार कांस्टेबल, पीडब्लू 3 सुरेश कुमार, पीडब्लू 4 हरचंदी शिकायतकर्ता, पीडब्लू 5 राकेश नागपाल प्रशासनिक अधिकारी, पीडब्लू 6 रमेश हरचंदी का बेटा का, पीडब्लू7 वेद राम कांस्टेबल, पीडब्लू8 राम कुमार एएसआई, पीडब्लू 9 राम निवास असिस्टेंट सब इन्स्पेक्टर, पीडब्लू 10 डॉक्टर यशोदा रानी और पीडब्लू 11 रणबीर सिंह सब इंस्पेक्टर का परिक्षण किया और इनकी गवाही बंद कर दी थी पर नवीन कुमार, किशनी, जय नारायण हेड कॉन्स्टबल, शिव राम और चन्दर भाण को अनावश्यक अभियोजन साक्ष्य मानकर इनकी गवाही नहीं की।

4. जब सीआरपीसी की धारा 313 के तहत परिक्षण किया गया, तो दोनों आरोपी ने सामने आने वाली सभी अभियोग लगाने वाली परिस्थितियों से

इनकार किया जो कि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ सबूत में दिए और झूठे आरोप लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। राज्य के विद्वान लोक अभियोजक और विद्वान बचाव पक्ष के वकील, को सुनने के बाद, और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अपने सजा से व्यथित होकर उन्होंने यह अपील दायर की है।

5. मैंने रिकार्ड को उचित सावधानी से पढ़ने के अलावा, पक्षों के विद्वान वकील को सुना लिया है।

6. श्री आर.एस. सीहोता, वरिष्ठ वकील जो कि अपीलकर्ताओं की ओर से हैं उन्होंने बड़ी विनम्रता से आग्रह किया कि किसी भी समय, आरोपी-अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक के उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं की गई है, न ही उसके इलाज के दौरान इस तरह के कृत्य का आरोप लगाया गया था।

7. इस निवेदन का खंडन करने के लिए श्री के.एस. गोदारा, विद्वान उप महाधिवक्ता राज्य की ओर से, ने कहा कि दिए गए साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि सही ढंग से दर्ज की गई है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. मैंने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर गहन और विचारशील विचार किया है।

9. वास्तव में, प्रदर्शित पिजे , मृतक के मृत्यु घोषणा बयान के आधार पर, दोषसिद्धि दर्ज की गई है। उसने कहा है कि मेरी सास मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करती थी। मेरे पति भी कभी-कभी मुझे परेशान करते थे। इस सवाल के जवाब में कि उन्हें आग कैसे लगी, उन्होंने बताया कि "8 दिसंबर, 1994 को शाम को, जब मैं जलते स्टोव पर चाय बना रही थी, तो मेरे कपड़ों (सूट, सलवार) में आग लग गई और मेरे कपड़ों से... मैं भी आग की चपेट में आ गई और मेरे चिल्लाने पर मेरी सास ने आग बुझा दी और मेरे पति घर में मौजूद नहीं थे।" यह साक्ष्य स्पष्ट रूप से अभियोजन की कहानी को मिटा देता है। उसने स्पष्ट रूप से कहीं भी यह नहीं कहा है कि मांग पूरी न होने के कारण उसकी सास ने उसे आग लगा दी थी, बल्कि उसकी सास ने ही उसे बचाने के लिए आग बुझाई थी। सुरेश कुमार PW3 ने कहा है कि "मुझे इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेरी उपस्थिति में कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और मुझसे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। पुलिस मौके

पर नहीं गई।" जैसा कि आरोप लगाया गया है, वह पुनप्राप्ति गवाह था। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रति परीक्षा में वह अपने दृढ़ रुख से एक इंच भी पीछे नहीं हटे। इस प्रकार, उसका साक्ष्य भी, किसी भी तरह से, अभियोजन पक्ष को आगे नहीं बढ़ाता है। बेशक, मृतक के पिता हरचंदी पीडब्ल्यू4 ने गवाही दी है कि "शादी के लगभग 10/12 दिनों के बाद, दोनों आरोपी मेरे घर आए और अपर्याप्त दहेज देने के खिलाफ शिकायत की और एक स्कूटर और 50,000 रुपये की भी मांग की और धमकी भी दी अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो मेरी बेटी को छोड़ देगा।" जैसा कि उनकी जिरह में सामने आया, "जगदीश (आरोपी) जब छह महीने बाद हमारे घर आया, तब वह स्कूटर पर आया था और रेखा को अपने साथ स्कूटर पर ले गया था।" इस साक्ष्य से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरोपी जगदीश के पास स्कूटर था।" अपनी जिरह के अंत में, उन्होंने कहा कि "हम रेखा की मृत्यु तक उसके साथ थे।" ऐसा होने पर, उसके द्वारा उसे प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है, उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा, की कि उसकी सास और उसका पति उसे अपर्याप्त दहेज लाने के लिए परेशान कर रहे थे, और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राकेश नागपाल पीडब्लू 5 , मृत्यु पूर्व बयान , प्रदर्शित पीं. जे के लेखक हैं। उन्होंने यह गवाही दी है डॉक्टर ने रेखा को बयान देने के लिए फिट घोषित कर दिया था। अभियोजन पक्ष के लिए बेहद निराशा की बात यह है कि प्रदर्शित पी. जे, डॉक्टर की इस राय से सहमत नहीं हैं कि जब उनका बयान दर्ज किया गया दिया जा रहा था तब उनकी मानसिक स्थिति ठीक थी और वह पूरे समय फिट रहीं।। ऐसे सबूतों के अभाव में, यह कहना बहुत मुश्किल है कि जब वह अपना बयान दर्ज करा रही थी तो वह ठीक मानसिक स्थिति में थी। इसके अलावा, उस डॉक्टर का नाम भी नहीं बताया गया है जिसने उसे फिट घोषित किया था राकेश नागपाल (एसआईसी) द्वारा, न ही ऐसे डॉक्टर की जांच की गई है। उसके साक्ष्य के अभाव में यह बात पूर्ण प्रमाणिकता के साथ नहीं कही जा सकती कि सचमुच किसी डॉक्टर ने उसे बयान देने के लिए फिट घोषित कर दिया था। **पुन: पंचदियो सिंह बनाम बिहार राज्य**[1] में, यह निर्धारित किया है कि "घोषणा करने के लिए मृतक की मानसिक स्थिति के बारे में डॉक्टर का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मजिस्ट्रेट, घोषणाकर्ता की फ़िट मानसिकता बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज कर रहा है तो यह प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं हैं , खासकर जब डॉक्टर उपलब्ध था।" इस मामले में, यह बताना उचित है की राकेश नागपाल, उस भौतिक समय पर, उपमंडल मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के पद पर तैनात थे। समय पर इसका तात्पर्य यह है कि

---

[1] 2002(1) आर.सी.आर. (क्रिमिनल) 126

मृत्यु घोषणा बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज नहीं किया गया था। सूक्ष्म अवलोकन करने पर प्रदर्शित पी. जे ने दर्शाया कि श्री राकेश नागपाल ने भी इस आशय का कोई प्रमाण पत्र दर्ज नहीं किया है कि जब घोषणाकर्ता का बयान दर्ज किया जा रहा था, तब वह पूरी तरह फिट थी।

10. **रामिलाबेन हसमुखबाही ख्रीस्ती बनाम गुजरात राज्य**[2] मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मृत्यु घोषणा बयान से संबंधित कानून को इस प्रकार संक्षेपित किया गया है: -

> (i) मृत्यु घोषणा देने वाले से जिरह नहीं की जाती। यह न्यायालय को देखना है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान पूर्ण विश्वास जगाता है।
>
> (ii) न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि कोई भी टूटरिंग या प्रोत्साहन की कोई संभावना नहीं थी।
>
> (iii) न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक, बयान देने के लिए मानसिक रूप से उपयुक्त स्थिति में था।
>
> (iv) डॉक्टर का प्रमाण पत्र कि पीड़िता होश में थी, पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि पीड़िता की मानसिक स्थिति ठीक है। मजिस्ट्रेट द्वारा घोषणाकर्ता की फिट मानसिक स्थिति के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करना स्वीकार्य नहीं हैं , खासकर की जब डॉक्टर उपलब्ध था।
>
> (v) मृत्युपूर्व घोषणा, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जानी चाहिए, जहां मृतक की स्थिति इतनी नाजुक थी कि कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।
>
> (vi) मृत्युपूर्व घोषणा प्रश्न और उत्तर के रूप में हो सकती है और उत्तर, घोषणा करने वाले व्यक्ति के शब्दों में लिखे जाने चाहिए। लेकिन न्यायालय बहुत अधिक तकनीकी नहीं हो सकता।

11. तत्काल मामले को याद करते हुए, इस आशय का कोई सबूत नहीं है कि मृतक की स्थिति अनिश्चित थी और न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं था और ऐसा होने पर, अन्वेषक के पास उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के माध्यम से

---

[2] 2002(3) आर.सी.आर. (क्रिमिनल) 786 (एस.सी.)

बयान दर्ज कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यदि अभियुक्त-अपीलकर्ता दुर्व्यवहार कर रहे थे या अपने माता-पिता को उनकी बताई गई मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए मृतक को परेशान कर रहे होते तो सभी मानवीय संभावनाओं में, उसने अपने मरने से पहले दिए गए बयान में इसका विशेष उल्लेख किया होता जो की काफी अस्पष्ट और गोलमोल है। मृत्युपूर्व बयान में कोई विशेष आरोप नहीं हैं। उसके पिता ने यह कहकर भौतिक सुधार किया है कि आरोपी, मृतक पर, उसके माता-पिता से 50,000 नकद रुपये के अलावा स्कूटर लाने के लिए दबाव डाल रहे थे।। इस प्रकार, यह मृत्युपूर्व बयान और साथ ही मौखिक साक्ष्य अदालत का विश्वास जगाने में विफल हैं। शिकायतकर्ता पक्ष के पास मृतक को समझाने और संकेत देने के लिए पर्याप्त समय था। इलाज कर रहे डॉक्टर द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के साथ इस बात का कोई प्रमाण पत्र नहीं था कि जब उसका बयान दर्ज किया जा रहा था, तब वह सही मानसिक स्थिति में थी, और इस पर भरोसा करना बहुत जोखिम भरा होगा। मृत्यु पूर्व बयान के संबंध में कानून से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि डॉक्टर द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि पीड़िता की मानसिक स्थिति ठीक थी। यहाँ इस मामले में, केवल "कथन के लिए उपयुक्त" शब्द लिखे गए हैं जो कि प्रदर्शित पी एच से हैं। इस प्रकार, यह कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

12. क्रूरता का निम्नलिखित से अभिप्रेत हैं जिसका मतलब हैं कि, क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है; या; (ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है । आईपीसी की धारा 498ए को एक महिला को उसके पति या उसके रिश्तेदारों के हाथों दहेज हत्या और उत्पीड़न के खतरे से निपटने के घोषित उद्देश्य से पेश किया गया था, जैसा कि निर्धारित किया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, **पुनः ओंकार नाथ मिश्रा बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)**[3] के मामले में। इस प्रावधान का उपयोग परोक्ष मकसद हासिल करने के उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

---

[3] 2008(1) आर.सी.आर. (क्रिमिनल) 337 (एस.सी.)

13. मृत्यु घोषणा के बयान के अनुसार, मृतिका को जलते चूल्हे से आग लग गई थी और उसकी सास ने उसे बचा लिया था। मृत्यु पूर्व बयान में यह मामला नहीं है कि यह अपीलकर्ताओं का जानबूझकर किया गया आचरण था जिसने मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। गौरतलब है कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के अनुसार यह आत्महत्या का मामला भी नहीं है, बल्कि दुर्घटनावश आग लगने का मामला है।

14. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है, जिससे आक्षेपित निर्णय/सजा के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। इसके द्वारा अपीलकर्ताओं को आरोपित अपराध से बरी किया जाता है। पूछने पर पक्षों की ओर से, यह रिकॉर्ड पर रखा गया है कि बार में दिखाए गए विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार, आरोपी-अपीलकर्ता जगदीश की 13 फरवरी 2005 को, मृतक की बहन से शादी हुई और वे खुशी से रह रहे हैं ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़